जन-सुनवाई दस्तावेज

छाल खुलीखदान विस्तार परियोज़ना 7.5 एमटीपीए (अधिकतम) के ईआईए/ईएमपी का सारांश

छाल खुलीखदान विस्तार परियोज़ना

(रायगढ़ क्षेत्र)

के लिये

पर्यावरण प्रभाव आकलन/ पर्यावरण प्रबंधन योजना का

लोक सुनवाई दस्तावेज

ग्राम: चंद्रशेखरपुर, छाल, नवापारा, खेदापली, बंधापाली, पुसलदा, लत
तहसील: धरमजैगढ़, जिला- रायगढ़, राज्य: छत्तीसगढ़
क्षमता: 6 एमटीवाय (सामान्य) & 7.5 एमटीवाय (अधिकतम)
परियोजना का क्षेत्रफल: *1342.86* हेक्टेयर

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(मिनी रत्न कम्पनी)

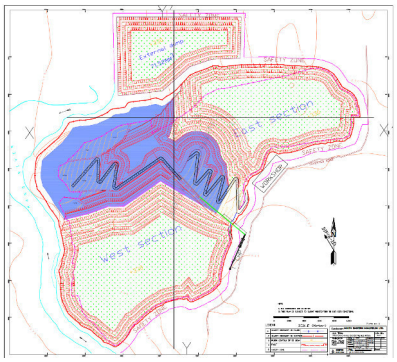

अक्टूबर–*2018*

सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इन्टीट्यूट लिमिटेड
क्षेत्रीय संस्थान -*5*
सीएमपीडीआई काम्पलेक्स,सीपत रोड, पिन -*495006*

बिलासपुर (छ.ग.)

1.1 परिचय

1.1.1 ईआईए/ईएमपी का उद्देश्य

छाल खुलीखदान विस्तार परियोज़ना (3.5 एमटीवाय से 7.5 एमटीवाय), रायगढ़ क्षेत्र, एसईसीएल का ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट को भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के ईआईए अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति हेतु बनाया गया है |

छाल खुलीखदान विस्तार परियोज़ना 1342.86 हेक्टेयर के लीज होल्ड एरिया के साथ 3.5 एमटीवाई से 7.5 एमटीवाई (अधिकतम) कोयले का एक विस्तार परियोजना है। रिपोर्ट, पर्यावरण पर खदान से उत्पादन में इस वृद्धि के संभावित प्रभावों की पहचान करने और उनके शमन और नियंत्रण के लिए उपचारात्मक उपाय प्रदान करने का प्रयास करती है। यह मौजूदा उत्पादन स्तर के तहत मौजूदा पर्यावरण के आधारभूत अध्ययन करके और वृद्धिशील प्रभावों पर पहुंचकर हासिल किया गया है।

1.1.2 अध्ययन का क्षेत्र

परियोजना रिपोर्ट का विवरण

छाल ओसी (सीम -III) 6 एमटीवाई परियोजना का परियोजना रिपोर्ट मार्च 1991 में प्रस्तुत “छाल ब्लॉक, मांड-रायगढ़ कोलफील्ड, एमपी की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट" रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई थी। परियोजना रिपोर्ट को कुल पूंजीगत व्यय के लिए 16.12.2013 को सीआईएल बोर्ड द्वारा 610.63 करोड़ रुपये आउटसोर्सिंग विकल्प के साथ अनुमोदित किया गया था।

अन्वेषण का विवरण

सीएमपीडीआई और जीएसआई ने ब्लॉक में विस्तृत अन्वेषण किया है। कुल 118 बोरहोल्स को ब्लॉक के 8.33 वर्ग किलोमीटर में ड्रिल किया गया है जिसमें बोरहोल घनत्व 14.16 बोरहोल्स / वर्ग किमी है। सीएमपीडीआई के कुल 118 बोरहोल्स और जीएसआई के 7 बोरहोल्स को इस रिपोर्ट की तैयारी के लिए लिया गया है|

पर्यावरण आधारभूत डेटा का विवरण

एडवर्ड फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर लिमिटेड (ईएफआरएसी) कोलकाता के द्वारा माइक्रो मौसम विज्ञान डेटा, वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, मिट्टी की गुणवत्ता के आंकड़ों और शोर गुणवत्ता के आंकड़ों के संबंध में आधारभूत पर्यावरणीय डेटा तैयार किया है। अध्ययन क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक डेटा M/S सारदा, रामगढ़, झारखंड द्वारा तैयार किया गया है। कोर जोन और बफर जोन के वनस्पतियों और जीवों के विवरण वीआरडीएस कंसल्टेंट, चेन्नई द्वारा तैयार किए गए हैं। कोर जोन और बफर जोन का सैटेलाइट चित्रण एसईसीएल के लिए सीएमपीडीआई द्वारा तैयार किया जाता है।

1.2 परियोजना विवरण

1.2.1 परियोजना प्रस्तावक और परियोजना की पहचान

यह परियोजना मांड-रायगढ़ कोलफील्ड, महाप्रबंधक, रायगढ़ क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्थित है। यह परियोजना, खारसिया - धर्मजयगढ़ राज्य राजमार्ग पर 2.5 किमी की दूरी और खारसिया शहर से 16 किमी की दूरी पर गांव छल के दक्षिण में स्थित है। ब्लॉक, अक्षांश 22°4'40" और 22°6'27" एन और रेखांश 83°6'10" और 83°9'10" ई से घिरा हुआ है और भारत के सर्वेक्षण टॉपो शीट संख्या 64 एन / 4 में शामिल है ।

परियोजना प्रस्तावक का ब्योरा निम्नानुसार दिया गया है:

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,

पोस्ट बॉक्स संख्या 60, सीपट रोड,

बिलासपुर (छत्तीसगढ़), पिन नं-495006

दूरभाष संख्या. 07752-246324, ई-मेल-gmenvtsecl@gmail.com

1.2.2 परियोजना की आवश्यकता और विस्तार के लिए औचित्य

“कोयला इंडिया लिमिटेड की परिप्रेक्ष्य योजना- 2030-31" के आधार पर वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए एसईसीएल का लक्ष्य क्रमशः 167.00 एमटी और 179.23 एमटी है। वर्ष 2018-19 में एसईसीएल के उत्पादन में इस वृद्धि को पूरा करने के लिए और जारी रखने हेतु, छाल ओसी की पहचान 3.5 एमटीवाई के अधिकतम उत्पादन से 7.5 एमटीवाई के प्रस्तावित अधिकतम उत्पादन के उत्पादन के लिए की गई है।

विस्तार के लिए औचित्य:

i) इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बिजली बोर्ड द्वारा थर्मल पावर स्टेशन स्थापित होने की संभावना है। पावर ग्रेड कोयले की मांग को पूरा करने के लिए, नई परियोजनाओं को खोलना आवश्यक है।

ii) सीम-III तक ओपनकास्ट खान खोलने के लिए छाल ब्लॉक में उत्खनन रिजर्व उपलब्ध हैं।

iii) छाल ब्लॉक, खारसिया-धर्मजयगढ़ राज्य राजमार्ग के किनारे स्थित है और इस परियोजना से कोयले को रॉबर्टसन रेलवे साइडिंग या रेल डिस्पैच स्थापित होने तक सड़क से भी किसी अन्य उपभोक्ता को भेजा जा सकता है।

1.2.3 खान की मुख्य विशेषताएं:

खान की विशेषताएं नीचे संक्षेप में हैं:

कुल माइनेबल रिजर्व	151.36 एमटी
कोयला सीमों की संख्या	13
सीम मोटाइ	0.5 मी. से 11 मी तक
कोयले का ग्रेड (औसत)	जी-11 (जी.सी.वी.-4264.00 KCal/Kg)
स्ट्रिपिंग अनुपात (क्यूबिक मी./ टन)	5.63
ढाल	4 - 11 डिग्री
खान का उम्र	30 बर्ष
पूंजीगत लागत (करोड़ो रुपए में)	610.63

खान की क्षमता	6.00 एमटीपीए (सामान्य), 7.50 एमटीपीए (अधिकतम)
खान का लीज क्षेत्र	1342.86 हेक्टेयर
खान बंद योजना	16.12.2013 को सीआईएल बोर्ड द्वारा स्वीकृत
नियोजित करने के लिए जनशक्ति (विभागीय)	जनशक्ति = 296
परियोजना प्रभावित लोग	675 भूमि मालिक और 450 परिवार
कोर जोन में गांवों की संख्या	07- चंद्रशेखरपुर, छाल, नवापारा, खेदापली, बंधापाली, पुसलदा, लत
अधिकतम खान गहराई	300 मी

1.2.4 खनन का तरीका:

ओबी हटाने के लिए शोवेल डम्पर संयोजन तथा कोयला निष्कर्षण के लिए सरफेस माइनर, एफईएल व डम्पर संयोजन के साथ खनन ओपनकास्ट खनन के रूप में किया जाएगा।

1.3 पर्यावरण का विवरण

1.3.1 आधारभूत अध्ययन:

वर्तमान पर्यावरण परिदृश्य का अध्ययन परियोजना क्षेत्र (कोर जोन) और 10 किमी बफर जोन के लिए आधारभूत अध्ययन प्रबंध करके किया गया है। पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन करने के लिए अध्ययन किया गया घटक नीचे सारणीबद्ध है।

क्र.सं	**अध्ययन क्षेत्र**	**संदर्भों के आधार पर**
1.00	**सामाजिक आर्थिक प्रोफ़ाइल**	2011 जनगणना आंकड़े & प्राथमिक डेटा मैसर्स सरडा, रामगढ़, (झारखंड) द्वारा उत्पन्न
1.01	सामाजिक प्रोफ़ाइल	-उपरोक्त-
1.02	आर्थिक प्रोफाइल	-उपरोक्त-
1.03	कार्यबल पैटर्न	-उपरोक्त-
1.04	बुनियादी और नागरिक सुविधाएं	-उपरोक्त-
2.00	**भूमि उपयोग पैटर्न**	
2.01	कोर जोन	परियोज़ना रिपोर्ट / खान की योजना, केएमएल डेटा और क्षेत्र / खान प्राधिकरण से एकत्रित अन्य संबंधित डेटा से शामिल
2.02	बफर जोन / अध्ययन क्षेत्र	2011 जनगणना आंकड़े
3.00	**मौसम संबंधी रुझान**	आइएमडी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (आईजीएयू), बिलासपुर
3.01	तापमान के रुझान	-उपरोक्त-
3.02	वर्षा रुझान	-उपरोक्त-
4.00	**सूक्ष्म-मौसम संबंधी रुझान**	ईएफआरएसी, कोलकाता
4.01	हवा का तापमान, गति और दिशा	-उपरोक्त-
4.02	सापेक्षिक आर्द्रता	-उपरोक्त-
4.03	बादल आवरण	-उपरोक्त-

4.04	वर्षा	-उपरोक्त-
5.00	**मूलाधार आकड़े**	-उपरोक्त-
5.01	परिवेश वायु गुणवत्ता	पोस्ट मॉनसून 2017(ईएफआरएसी)
5.02	पानी की गुणवत्ता	मॉनसून पूर्व 2017(ईएफआरएसी)
5.03	शोर (ध्वनि) का स्तर	-उपरोक्त-
5.04	मृदा गुणवत्ता	-उपरोक्त-
6.00	**वन, वनस्पति और जीव**	वीआरडीएस कंसल्टेंट्स, चेन्नई
6.01	वन	-उपरोक्त-
6.02	वनस्पति	-उपरोक्त-
6.03	जीव	-उपरोक्त-
7.00	**जल-भूवैज्ञानिक**	सीएमपीडीआइ
8.00	**पुनःस्थापन और पुनर्वास**	एसइसीएल, सरकार द्वारा अनुमोदित आर एंड आर नीति के अनुसार
9.00	**भूमि अवक्रमण**	एसइसीएल और सीएमपीडीआइएल
10.00	**ठोस अवशेष**	एसइसीएल और सीएमपीडीआइएल
10.00	**हजार्डे मूल्याकन**	एसइसीएल और सीएमपीडीआइएल
10.01	ग्राउड कपन	एसइसीएल और सीएमपीडीआइएल
10.02	कोयला आग	एसइसीएल और सीएमपीडीआइएल

1.3.2 परिवेश वायु गुणवत्ता:

सूक्ष्म-मौसम डेटा के साथ नौ वायु जांच स्टेशनों पर परिवेश वायु गुणवत्ता डेटा नवंबर 2017-फरवरी 2018 की अवधि के लिए उत्पन्न किया गया है। यह पाया गया है कि मूल क्षेत्र में एसपीएम मान 155 µg/m3 से 289 µg/m3 तक हैं और आरपीएम मान 62 µg/m3 से 82 µg/m3 तक हैं। SO2 का मान 7 से 24 µg/m3 के बीच में स्थित हैं। NOx मान क्रमश: 20 से 38 µg/m3 के बीच में स्थित हैं। बफर जोन में RPM मान 55 µg/m3 से 84µg/m3 तक होते हैं, SO2 मान 10 से 32.7 µg/m3 के बीच में पाए गये हैं। NOx मान मूल्य क्रमश: 15 से 45.7 µg / m3 के बीच में हैं। भारी धातुओं का संकेंद्रण का स्तर निर्धारित सीमाओं के भीतर पाया गया था।

1.3.3 पानी की गुणवत्ता:

वनस्पति, जानवरों और मनुष्यों के अस्तित्व के लिए पानी एक महत्वपूर्ण वस्तु है जिसके परिणामस्वरूप, पर्यावरण प्रणाली के उचित संतुलन की आवश्यकता है। इस प्रकार, खनन गतिविधि के कारण आस-पास की सतह और भूजल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर गंभीर परिणाम देगा। पीने के पानी के महत्वपूर्ण मानकों के सभी मूल्य नियामक निकायों द्वारा और अन्य लागू श्रेणी के लिए आईएस: 10500: 2012 द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं।

1.3.4 शोर (ध्वनि) का स्तर:

कोर जोन और बफर जोन में शोर स्तर के अवलोकन एमओईएफ अधिसूचना एस.ओ. 123 (ई), दिनांक 14 फरवरी 2000 और जी.एस.आर 742 (ई) दिनांक 25 सितंबर, 2000 द्वारा दिनांक और रात के समय के शोर स्तर मूल्य डीबी (ए) के निर्धारित सीमा के भीतर पाए गए थे।

1.3.5 वन वनस्पति और जीव:

अध्ययन के अनुसार, परियोजना के मूल क्षेत्र में कोई दुर्लभ और लुप्तप्राय वनस्पति और जीव नहीं मिला।

1.4 अनुमानित पर्यावरणीय प्रभाव और शमन के उपाय:

ए. वायु पर्यावरण

खनिज परिवहन, संचालन, भंडारण और खनिजों/अपशिष्ट के हस्तांतरण और उपचारात्मक उपायों जैसे परिवहन सड़क, खान/स्टॉकयार्ड/साइडिंग के साथ मोबाइल/स्थैतिक जल छिड़काव प्रणाली जैसे उपायों से वायु पर्यावरण प्रभावित हो सकता है।

वायु प्रदूषण के लिए उपाय:

1. पानी छिड़काव यन्त्र द्वारा पानी छिड़काव धूल उत्पादन को कम करने के दृष्टिकोण से खनन क्षेत्र के भीतर सड़कों पर नियमित रूप से किया जाएगा।
2. कोयला के स्थानान्तरण स्थल पर जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी।
3. परिवहन द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के लिए ढुलाई सड़क और अन्य सड़क के बगल में पर्याप्त चौड़ाई के अन्तर्गत गहन वृक्षारोपण किया जाएगा।
4. सीएचपी के क्रशर हाउस में धूल निष्कर्षण की व्यवस्था किया जायेगा।
5. क्रशर हाउस से साइलो लोडिंग सिस्टम तक कोयले के परिवहन को कम करने, बेल्ट कन्वेयर प्रदान किया गया है।
6. कोयला परिवहन, रॉबर्टसन रेलवे साइडिंग तक कवर ट्रक में किया जाएगा।
7. उजागर ओवरबर्डन डंप को उचित वृक्षारोपण के माध्यम से ढका जाएगा।
8. विस्फोट के दौरान धूल को कम करने के लिए ऑप्टीमल ब्लास्ट होल ज्योमेट्री का पालन किया जाएगा।
9. परियोजना क्षेत्र की परिवेश वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी।

बी. जल पर्यावरण

(अ)पानी की आवश्यकता(मी^{3}/दिन)

उद्देश्य	पीक मांग (मी^{3}/दिन) (m3/day)
अ. औद्योगिक जल मांग	
1. **खनन संचालन**	1
2. **भूमि पुनरुद्धार**	-
3. **धूल दमन**	405
4. **हरित पट्टा**	383
5. **लाभकारी (सीएचपी)**	135
6. **वाशरी**	-
7. **अग्निशमन सेवा**	270
8. **अन्य (निर्दिष्ट) कार्यशाला में धुलाई**	41
9. **नुकसान के लिए जोड़** (10%)	128
ब. घरेलू / पीने योग्य पानी की मांग	
1. **आवास**	457
2. **गैर आवासीय आबादी**	20
3. **अन्य (निर्दिष्ट) सेवा भवनों के लिए**	48
4. **प्रक्रिया और अन्य नुकसान** (10%)	52

कुल	**1940**

(ब) स्रोत

क्र सं	**स्रोत**	**(मी^{3}/दिन) (m3/day)**
1	खनन स्राव पानी(सम्प/गड्ढा)	1363
2	भूमि जल *(*घरेलू उपयोग के लिए ट्यूबवेल*)*	577
3	नदी का पानी	-
कुल , (मी^{3}/दिन)		**1940**

संरक्षण उपाय:

1. प्रभाव अधिकतम 1198 मीटर तक और एक अस्थायी अवधि के लिए सीमित होगा। प्रभावित निवास स्थान के आवास में सिंकिंग हैण्ड पंप उपयुक्त पेयजल आपूर्ति के लिए प्रदान किया जाएगा।
2. पूरी खान के औद्योगिक जल की पूर्ति, खदान से निष्काषित और उपचारित जल के की जाएगी जिससे पानी के बर्बादी में कमी आएगी।
3. अतिरिक्त खनन उपचारित जल, स्थानीय तालाबों या कृषि क्षेत्रों में छोड़ा जायेगा । इस प्रकार, खनन जल, रिचार्ज के सतत स्रोत के रूप में व्यवहार करेगा और खान क्षेत्र में पानी के स्तर में सुधार करेगा। यह स्थानीय जनता के लिए संसाधन बन जाएगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि करेगा।
4. इसलिए, अतिरिक्त रंध्रमयता में वृद्धि के साथ, खनन क्षेत्र के निकट, बारिश के पानी के रिशने की दर में एक महत्वपूर्ण सुधार का अनुमान लगाया जा सकता है।

सी. शोर (ध्वनि) पर्यावरण

वर्तमान शोर स्तर निर्धारित सीमा से नीचे हैं। यदि खनन ऑपरेशन के कारण संवेगशील शोर का स्तर बढ़ता है**,** तो कार्यक्षेत्र में मुनासिब सीमाओं के भीतर शोर स्तर को बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाए जाएंगे।
निम्नलिखित उपायों को अपनाया गया है और जारी रखा जाएगा:

1. सड़कों और अन्य शोर पैदा करने वाले स्थानों के पास, मोटी पत्ते वाले पेड़ो की पंक्तियों का रोपण, ध्वनिक बाधाओं के रूप में कार्य करने के लिए किया जायेगा ।
2. लचीला माउंटिंग / बदलने संरचनाओं का उपयोग करके शोर मशीनों/स्रोतों को पृथक/बंद करना।
3. जहां तक संभव हो शोर को खत्म करने के लिए एचईएमएम और अन्य मशीनरी के लिए नियमित रखरखाव कार्यक्रम।
4. कंपन को कम करने के लिए मशीनों की संतुलित और सही ढंग से गठबंधन कंडीशनिंग करना।
5. अनुशंसित सीमाओं के ऊपर शोर स्तर के स्थिति में श्रमिकों को इअर मफ / इअर प्लग का प्रावधान।
6. नियंत्रित विस्फोट और प्रोजेक्ट एरिया के शोर स्तर की नियमित निगरानी।

डी. सामाजिक- आर्थिक स्थिति:

परियोजना में, क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने की संभावना है। ओपनकास्ट खान के शुरू होने के साथ क्षेत्र में सहज आर्थिक प्रोत्साहन होगी। इस आर्थिक विकास के साथ, क्षेत्र में व्यापारियों और निजी उद्यमों में वृद्धि होगी।

इसके अलावा, राज्य सरकार रॉयल्टी, एसजीएसटी इत्यादि के माध्यम से वित्तीय राजस्व प्राप्त करेगी और सीजीएसटी, आयकर, सेस इत्यादि के माध्यम से केंद्र सरकार को भी फायदा होगा।

इ. भूमि संसाधन की आवश्यकता और प्रबंधन:

परियोजना का विस्तार, खदान बंद होने के बाद पोस्ट खनन भूमि उपयोग में परिवर्तन लाएगा।

पूर्व खनन भू-उपयोग

क्र.सं	भू-उपयोग	एमएल के अन्दर क्षेत्रफल (हेक्टे)	एम एल के बाहर क्षेत्रफल (हेक्टे.)	कुल
1	कृषि भूमि	825.827		825.827
2	वन भूमि	185.017		185.017
3	बंजर भूमि	228.649		228.649
4	चारागाह भूमि	31.632		31.632
5	सतह जल क्षेत्र	23.426		23.426
6	उपनिवेश (सेटलमेंट)	-----		-----
7	अन्य	48.309		48.309
	कुल	**1342.86**		**1342.86**

पोस्ट खनन भू-उपयोग

क्र. सं	विवरण	खदान क्षेत्र (बैकफिलिंग और रिक्लेमेशन के बाद)	बाह्य डंप (रिक्लेमेशन के बाद)	सुरक्षा क्षेत्र के रूप ग्रीन बेल्ट	बुनियादी ढांचा, विस्फोटक बारूद इत्यादि	आर एंड आर साइट	अन्य	कुल जोड़
1	वनीकरण क्षेत्र	794	130.73	144.47	5.00	0.00		1047
2	खेती योग्य भूमि	0.00	0.00	0.00		0.00	92.65	92.65
3	फाइनल खाली / जल निकाय	81	0.00	0.00	0.00	0.00		81
4	अन्य जल निकाय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5	निर्मित क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	45.00	50.00		95.00
	परियोजना के लिए कुल भूमि	**875.00**	**130.73**	**144.47**	**50**	**50.00**	**92.65**	**1342.86**

निष्कर्ष:

प्रत्येक प्रदूषण अवयवो में योगदान देने वाले प्रत्येक स्थान से प्रत्येक स्रोत के लिए पर्यावरण मानकों पर विचार किया गया है और अनके निर्धारित वेटेज के अनुसार मूल्यांकन किया गया है। अपनाए गए सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए, पूरा परियोजना कार्यान्वयन का पर्यावरण पर सराहनीय प्रभाव नहीं होगा।

1.5 पर्यावरण नियंत्रण कार्यक्रम:

प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सभी पहलुओं सहित पर्यावरण प्रबंधन के लिए समयबद्ध कार्य योजना का

पालन किया जाएगा। वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता और शोर स्तर के अध्ययन के लिए नमूने एकत्रित किए जाएंगे और स्थान की सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले महत्वपूर्ण स्थानों पर नियमित रूप से परीक्षण किए जाएंगे। कार्यान्वयन प्राधिकरण को इन परीक्षणों से प्राप्त फीडबैक डेटा द्वारा निर्देशित और सलाह दी जाएगी।

<u>नियंत्रण कार्यक्रम:</u>

एमओईएफ के मानकों जैसे जीएसआर 742 (ई), दिनांकित 25.9.2000 और जीएसआर -826 (ई), दिनांकित 16/11/2009 के अनुसार वायु, जल और शोर स्तर के लिए नियंत्रण (जाँच) कार्यक्रम पहले से ही संचालन में है।

परिवेशी वायु: जीएसआर 742 (ई) दि. 25.09.2000 एवं जीएसआर-826 (ई) दि. 16.11.2009 में उल्लेखित आवृति पर एसपीएम(SPM), पीएम10 (PM10), पीएम2.5 (PM2.5) , SO2 एवं NOx जैसे पारामीटरों का जाँच किया गया। परिवेशी वायु गुणवत्ता में लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक, निकेल इत्यादि जैसे भारी धातुओं की जाँच अर्द्ध वार्षिक अवधि पर किया जा रहा है।

जल: प्रदूषित व सतह जल के लिये प्रत्येक पन्द्रह दिनों में पीएच, रसायनिक आक्सीजन मॉग, निस्सारित ठोस, तेल एवं ग्रीस के पारामीटरों का जाँच किया गया और सभी पारामीटरों का वर्ष में एक बार प्रबोधन किया जा रहा है। पेय जल के लिये आईएस:10500 के अनुसार महीनें में एक बार जाँच किया जा रहा है।

शोर (ध्वनि): प्रत्येक पखवाड़े में दिन और रात के दौरान ध्वनि का जाँच किया जा रहा है।

पौधों की वृद्धि, इसके रखरखाव और जीवन दर की निगरानी की जाएगी। कर्मचारियों के स्वास्थ्य की समय-समय पर उपचारात्मक उपायों को शुरू करने के लिए व्यावसायिक बीमारियों इत्यादि के पहचान की जांच की जाएगी। यह डीजीएमएस के दिशानिर्देशों के अनुसार आवधिक चिकित्सा परीक्षा के माध्यम से दूसरें चल रहे परियोजनाओं में एसईसीएल द्वारा पहले ही लागू किया जा रहा है। सीएसआर / सामुदायिक विकास के लिए निर्धारित धन से स्थानीय आबादी को चिकित्सा सुविधाएं भी विस्तारित किया जाएंगा।

1.6 अतिरिक्त अध्ययन:

1.6.1 लोक परामर्श:

अधिनियम / अधिसूचना के अनुसार जन सुनवाई की जाएगी और परिणाम अंतिम ईआईए/ईएमपी में सम्मिलित किया जायेगा ।

1.6.2 विपत्ति आकलन

निम्नलिखित में शामिल परियोजना के लिए जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए एक व्यापक खाका तैयार किया गया है:

* विपत्ति की पहचान और आकलन
* जीवन और संपत्ति को क्षति पहुचने वालो जोखिमो (विप्पतियो) को रोकने के उपायों की सिफारिश

1.6.3 रिमोट सेंसिंग डेटा के आधार पर अध्ययन के भूमि का उपयोग विवरण

भूमि उपयोग पैटर्न की निगरानी के लिए और प्रगतिशील खनन पश्चात भूमि उपयोग योजना के लिए, सैटेलाइट चित्रण ली जा रही है और सीएमपीडीआईएल, रांची द्वारा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। यह अध्ययन नियोजित तौर पर खान बंद होने की गतिविधियों को ट्रैक करने में मदद करेगा।

1.7 परियोजना से लाभ:

मौजूदा छाल ओसी परियोजना का विस्तार आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएगा। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित लाभ होंगे:

1. रोजगार जनरेशन

2. राष्ट्र की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति

3. भौतिक आधारभूत संरचना में सुधार

4. सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार

5. राजकोष में योगदान

6. हरित आवरण में वृद्धि

7. व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

8. अतिरिक्त रोजगार के अवसर

1.8 पर्यावरण प्रबंधन योजना:

पर्यावरण प्रबंधन योजना को लागू करने की ज़िम्मेदारी पर्यावरण प्रबंधन ढांचा के साथ होगी जो योग्य और प्रशिक्षित कर्मियों की एक टीम द्वारा उचित रूप से सहायता की जाएगी।

यह पर्यावरण प्रबंधन के निम्नलिखित पहलुओं की ध्यान रखेगा:

* पर्यावरण डेटा बैंक का जनरेशन

* अन्य एजेंसियों और सलाहकारों के सहयोग से परियोजना के लिए सूक्ष्म पर्यावरण प्रबंधन योजना विकसित करना

* पर्यावरणीय नियंत्रण उपायों के साथ निगरानी परियोजना कार्यान्वयन

* परियोजना के समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अन्य परियोजना गतिविधियों के साथ समन्वय

* जल और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्रीय / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ समन्वय

पर्यावरण प्रबंधन योजना को लागू करने की ज़िम्मेदारी परियोजना के प्रोजेक्ट ऑफिसर के साथ होगी, जिसे योग्य और प्रशिक्षित कर्मियों की टीम द्वारा उचित सहायता दी जाएगी। पर्यावरण प्रबंधन संगठन, रायगढ़ क्षेत्र इस कार्य को जिम्मेदारी के साथ पूरा करेगा।

<u>संरक्षण प्रयासों के लिए कोष</u>:

ईएमपी में, वनीकरण, सुधार और अन्य विविध व्यय के लिए पूंजी और राजस्व प्रमुखों के तहत धनराशि दी गई है। आर एंड आर गतिविधियों सहित विभिन्न पर्यावरणीय नियंत्रण उपायों के लिए 7731.45 लाख रूपए पूंजीगत व्यय मद में दिए गए हैं। अन्य गतिविधियां जैसे पर्यावरणीय निगरानी, डंप रिक्लेमेशन इत्यादि जैसी प्रमुख खान बंद गतिविधियों और सीएसआर गतिविधियों को राजस्व बजट निधि के तहत किया जाएगा।

1.9 परामर्शदाता की जानकारी:

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड, सामान्य तौर पर इसे सीएमपीडीआई कहा जाता है। यह आईएसओ 9001 कम्पनी है। इसका पंजीकृत निगमित (कार्पोरेट) कार्यालय झारखण्ड

राज्यकी राजधानी में गोडंवाना प्लेस, कांकेरोड, रॉची 834008 पर अवस्थित है। सीएमपीडीआई को क्यूसीआई-एनएबीईटी द्वारा ईआईए सलाहकार संगठन प्रमाण पत्र संख्या NABET/EIA/1720/RA0092 के रूप में मान्यता प्राप्त है जो की 01.10.2020 तक मान्य है।

नोट- यह जन सुनवाई दस्तावेज़ हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में लिखा गया है। दो उपरोक्त संस्करणों के बीच किसी भी विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण इस दस्तावेज़ की भावना, इरादा और अर्थ निर्धारित करने में प्रबल होगा।

****